



# डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

**DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)**  
(A CENTRAL UNIVERSITY)

वित्तीय कार्यालय, सागर (म.प्र.) - 470 003  
Finance Department, Sagar, (M.P.) - 470 003  
Phone : 07582-265826 - Fax : 264236, 264163

क्रं.: वित्त-लेखा/आयकर/2022-23/ 7492

दिनांक: 18/01/2022

## परिपत्र

आयकर नियम-1961 की धारा-192 से 194 में नियोक्ता द्वारा स्रोत पर आयकर वसूल करने एवं ऐसे वसूल किए गए आयकर कटौती राशि को केन्द्रीय शासन के खाता में जमा कराने के प्रावधान हैं।


अतएव ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनकी आलोच्य वित्त वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय अधिनियम-2021 में आयकर की दरों के अनुसार आयकर का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

आय एवं आयकर के ठीक आंकलन हेतु इस परिपत्र के साथ वेतन प्रमाण पत्र (2021-22) एवं आयकर फार्म (1) Old Structure of Tax (2021-22) (2) New Structure of Tax (2021-22) संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त दोनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प में जानकारी भरकर वेतन शाखा को दि. 24.01.2022 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

जो भी राहत/छूट मांगी जावे उसके प्रमाण संलग्न किए जावें यदि प्रमाण संलग्न नहीं किए जावेंगे तो ऐसी छूट/राहत को अमान्य किया जावेगा और आयकर की वसूली संबंधित के वेतन से माह जनवरी, 2022 एवं फरवरी, 2022 के वेतन से कर ली जावेगी।


नोट: संलग्न आयकर फार्म प्रस्तुत न करने वाले कर्मियों के वेतन माह जनवरी, 2022 एवं फरवरी, 2022 से कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर की वसूली कर ली जावेगी।

  
18-01-2022

प्रभारी वित्ताधिकारी  
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

### प्रतिलिपि :

- 1- समस्त अधिष्ठाता/समस्त समन्वयक।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष शैक्षणिक विभाग।
- 3- समस्त अधिकारी/शाखा प्रभारी।
- 4- माननीय कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
- 5- आयकर अधिकारी वार्ड-सागर।
- 6- प्रभारी-वेवसाइट सेल, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. अपलोड करने हेतु।
7. श्री राम प्रदो, IUMS - इसे आई यू एम एस पर तत्काल भ्रष्टाचार जाना सुनिश्चित करें।

  
सहायक कुलसचिव (वित्त)  
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

Statement of income u/s 192 (2B) of the Income Tax Act, 1961 for the year ending 31<sup>st</sup> March  
(To be submitted by Assesse-Employee to the Employer for salary up to February)  
(For employees Having gross income more than Rs. 2,50,000/- per annum)

Financial Year **2 0 2 1 - 2 2** Assessment Year **2 0 2 2 - 2 3**

Name of the Employee

Department

P.A.N. No.

1. आय Incomes

- (a) वेतन से आय Pay + DA + ADA + CCA + HRA + TCA + Bonus Rs .....
- (b) बकाया वेतन Areasrs Rs .....
- (c) छुट्टी का नगदीकरण Encashment Rs .....
- (d) अन्य परिलब्धियां Other perquisites Rs .....

Total (1) Rs. ....

Less

- 2. Standard Deduction (50,000) Rs. 50,000=00
- 2a गृह किराया भत्ता (House Rent Allowance) U/S/10 (13A) Rs .....
- नोट : (यदि कर्मचारी अपने ही मकान में रह रहा है तो मकान किराया भत्ता की पूरी राशि कर योग्य है।)
- 3. संकल वेतन Gross Salary (1-2) Balance (3) Rs.
- 4. वृत्तिकर कटौती Professional Tax Deduction U/S 16 (iii) Rs .....

Total (2+2a)

5. योग Total (3 - 4)

Rs. ....

6. कर योग्य वेतन Taxable Salary

Rs. ....

7a गृह सम्पत्ति से आय (Income from house property)(Total 6+7a) Rs .....

Rs. ....

Less Deduction for interest on loan if the loan is obtained

7b House Loan Interest Paid

- (a) Before 1.4.99 - Actual interest or ₹. 30,000 whichever is less.
- (b) After 31.3.99 Actual interest of ₹. 2,00,000 whichever is less. Rs .....

Rs. ....

8. कर योग्य वेतन (7a-7b) Rs. ....

Rs. ....

8a. पूंजी अभिलाभ से आय Income from Capital Gains

- (a) अल्पकालिक Short Term Rs .....
- (b) दीर्घ कालिक Long term Rs .....

Rs. ....

9a. अन्य स्रोतों से आय Income from other sources

बैंक ब्याज/अन्य आय इत्यादि -- बैंक, यूनिट ट्रस्ट, म्यूचुअल फण्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज Interest on SBI. A/c., UTI, NSC Interest from any other source Deduction u/s

(Section-80TTA) 10,000 ब्याज में छूट (Senior Citizen) (Section-80TTB) 50,000 ब्याज में छूट

Rs. ....

9b. परीक्षा पारिश्रमिक राशि Honorarium मानदेय Allowance भत्ता Rs. ....

10. कर योग्य वेतन Taxable Salary (8+8a+8b+9a+9b)

Rs. ....

11. Less. Deductions सेक्शन 80-CCD(1) के अंतर्गत बचत राशियों का योग रु.1,50,000 से अधिक नहीं होगी

- (a) सामान्य भविष्य निधि अंशदान Contribution in GPF/NPS Rs.....
- (b) समूह बीमा योजना अंशदान Contribution in GIS/FBL Rs.....
- (c) लोक भविष्य निधि अंशदान Contribution in P.P.F Rs.....
- (d) एल.आई.सी. प्रीमियम LIC Premium स्वयं द्वारा Rs.....
- (da) एल.आई.सी. प्रीमियम LIC Premium वेतन द्वारा Rs.....
- (e) एन.एस.सी (आठवा निर्गमन) Contribution in NSC (8th issue) Rs.....
- (f) डाकघर की 15 वर्षीय समयावसधि संचयी जमा योजना P.O Cumulative time deposite 15 year Rs.....
- (g) पुराने राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज Accured interest in old NSC Rs.....
- (h) आवासीय मकान के निर्माण या क्रय के उद्देश्य हेतु भुगतान राशि Repayment of Housing loan Rs.....
- (i) जीवन बीमा निकय का वार्षिक प्लान जीवनधारा, जीवन अक्षय Jeevan Dhara/ Jeevan Akshay Rs.....
- (j) यूनिट लिंक्ड बीमा प्लान-1971 एवं धनरक्षा प्लान-1989 Contribution to ULIP - 71, Dhan Raksha plan 1989 Rs.....

योग Total  
11(a+m)

(k) राष्ट्रीय बचत योजना Contribution tNSS - 1992	Rs.....	
(l) अन्य Other	Rs.....	
(m) बच्चों की स्कूल कॉलेज की ट्यूशन फीस (अधिकतम दो बच्चे)	Rs.....	Rs.....
12. Less - चेप्टर 6ए के तहत अनुज्ञेय कटौतियां Deduction under chapter vi-A		
(a) 80 CCD(2) Employer contribution	Rs.....	
(b) Self Contribution to NPS - 80 CCD (1B) अधिकतम 50,000/- In addition to 80C and 80CCD (2)		
(c) U/s 80 D चिकित्सा बीमा की राशि बशर्ते बैंक से भुगतान किया हो अधिकतम 25,000 /	Rs.....	योग Total (11+12)
(d) U/s 80 DD आश्रित विकलांग पर चिकित्सा व्यय 75,000 /- तक		
(e) U/s 80 DDB पुरानी / दीर्घकालिक / अंतिम बीमारी (जैसे कैंसर अथवा एड्स) के इलाज हेतु अधिकतम 1,00,000 /- तक	Rs.....	
(f) U/s 80 G - आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित संस्थाओं को दान (सीमा देखें)	Rs.....	
(i) 100% कटौती योग दान राशि (Prime Ministers Relief fund)	Rs.....	Rs.....
(ii) 50% कटौती योग दान राशि	Rs.....	
(g) U/s 80U - पूर्ण दृष्टिहीन, अंशतः दृष्टिहीन, स्थायी शारीरिक / मानसिक विकलांग पर अधिकतम 75,000 /-	Rs.....	
(h) U/s 80E - उच्च शिक्षा के लिए कर्ज पर ब्याज Education Loan Interest	Rs.....	

13. योग Total (11+12)	Rs .....
14. कर योग्य कुल आय Total Taxable Income (10-13)	Rs .....
15. राहत U/s 89 (बकाया राशि के कर का अंतर) Relief U/s 89 (Aresars Diff. of Tax)	Rs .....
16. योग Total (14 - 15)	Rs .....
17. कुल योग शुद्ध आय (Net Taxable Income)	Rs .....
18. कर की गणना Income Tax on Taxable Income	Rs .....

#### Old Structure of Tax

2,50,000/- तक	कुल नहीं	
2,50,000/- से 5,00,000/ तक	2,50,000/- 5%	12,500/- Rs .....
5,00,000/- से 10,00,000/ तक	5,00,000/- 20%	1,00,000/- Rs .....
10,00,000/- से ऊपर	10,00,000/- 30%	1,12,500/- Rs .....
19. शुद्ध देय कर Net Income Tax payable	Total Tax Rs .....	Rs .....
20. मेडिकल + शिक्षा उपकर 4% Health + Education Cess 4%		Rs .....
21. शुद्ध देय कर, मेडिकल + शिक्षा उपकर 4% Health + Education Cess (19+20)		Rs .....
22. अब तक काटा गया कर Tax already deducted (December 2021)		Rs .....
23. शुद्ध देय आयकर राशि (21 - 22)		Rs .....
आगामी माह में कर कटौती Tax to be deducted from salary Jan. 22, Feb. 22 Total		
जनवरी 2022 राशि .....	} Total .....	Rs .....
फरवरी 2022 राशि .....		

- नोट 1. सेक्शन 80 - C, 80CCC, 80CCD(1), 80-CCD 80-CCD (2) (1 B), self के अंतर्गत कटौती की कुल राशियों का योग रु. 2,00,000 से अधिक नहीं होगी।
2. (वरिष्ठ नागरिक) 60 वर्ष या उससे ऊपर आयु की पुरुष और महिलाओं के लिए रु. 3,00,000 तक की आय पर आयकर देय नहीं।
3. धारा 60CC - राजीव गांधी एक्विटी स्कीम में अंशदान या निवेश मूल्य का 50% या 25,0000 रु. जो भी कम हो की छूट आय में मिलेगी।
4. 5,00,000 से कम आय पर धारा 87A के अंतर्गत 12,500 रु. आयकर में छूट है। कर योग्य कुल आय 5,00,000 Taxable Income से अधिक न हो तब छूट का लाभ मिलेगा।
5. वरिष्ठ नागरिक अपने आयकर पेन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।

सत्यापन: मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

स्थान Place : .....

दिनांक Date : .....

Mobil No : .....

निर्धारित के हस्ताक्षर Sig. of Assessee

नाम .....

विभाग .....

## New Structure of Tax Financial Year (2021 - 22)

Statement of income u/s 192 (2B) of the Income Tax Act, 1961 for the year ending 31<sup>st</sup> March  
(To be submitted by Assesse-Employee to the Employer for salary up to February)  
(For employees Having gross income more than Rs. 2,50,000/- per annum)

Financial Year	2	0	2	1	-	2	2	Assessment Year	2	0	2	2	-	2	3	
Name of the Employee																
Department																
								P.A.N. No.								

1. आय Incomes	
(a) वेतन से आय Pay + DA + ADA + CCA + HRA + TCA + Bonus	Rs .....
(b) बकाया वेतन Areasrs	Rs .....
(c) छुट्टी का नगदीकरण Encashment	Rs .....
(d) अन्य परिलब्धियां Other perquisites	Rs .....
Total (1)	Rs. ....

2. संकल वेतन Gross Salary	Rs.....
---------------------------	---------

3. अन्य स्रोतों से आय Income from other sources बैंक ब्याज/अन्य आय इत्यादि - बैंक, यूनिट ट्रस्ट, म्यूचुअल फण्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज Interest on SBI. A/c., UTI, NSC Interest from any other source Deduction u/s	Rs. ....
--	----------

4. परीक्षा पारिश्रमिक राशि Honorarium मानदेय Allowance भत्ता Rs. ....	
---	--

5. कुल योग शुद्ध आय (Net Taxable Income) [2+3+4]	Rs .....
--	----------

6. कर की गणना Income Tax on Taxable Income	Rs .....
--	----------

New Structure of Tax		
Total Income (Rs.)	Rate	
Up to 2,50,000	Nil	
From 2,50,001 to 5,00,000	5%	Rs .....
From 5,00,001 to 7,50,000	10%	Rs .....
From 7,50,001 to 10,00,000	15%	Rs .....
From 10,00,001 to 12,50,000	20%	Rs .....
From 12,50,001 to 15,00,000	25%	Rs .....
Above 15,00,000	30%	Rs .....

7. शुद्ध देय कर Net Income Tax payable	Total Tax Rs .....		Rs .....
--	--------------------	--	----------

8. मेडिकल + शिक्षा उपकर 4% Health + Education Cess 4%	Rs .....
---	----------

9. शुद्ध देय कर, मेडिकल + शिक्षा उपकर 4% Health + Education Cess (7+9)	Rs .....
--	----------

10. अब तक काटा गया कर Tax alrely deducted (December 2021)	Rs .....
---	----------

11. शुद्ध देय आयकर राशि (10 - 11)	Rs .....
-----------------------------------	----------

आगामी माह में कर कटौती Tax to be deducted from salary Jan. 22, Feb. 22 Total	
जनवरी 2022 राशि .....	}
फरवरी 2022 राशि .....	
Total ..... Rs .....	

**नोट :-**

- (वरिष्ठ नागरिक) 60 वर्ष या उससे ऊपर आयु की पुरुष और महिलाओं के लिए रु. 3,00,000 तक की आय पर आयकर देय नहीं।
- 5,00,000 से कम आय पर धारा 87A के अंतर्गत 12500रु. आयकर में छूट है। कर योग्य कुल आय 5,00,000 Taxable Income से अधिक न हो तब छूट का लाभ मिलेगा।
- वरिष्ठ नागरिक अपने आयकर पेन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।

सत्यापन: मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

स्थान Place : ..... दिनांक Date : ..... Mobil No : .....	निर्धारिती के हस्ताक्षर Sig. of Assessee नाम ..... विभाग .....
--	--